बैवसाईट

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चंडीगढ।

सेवा में,

1. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा।
2. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा।

क्रमांकः स्था0/01/2021/ 23718-56
दिनांकः 06-10-2021

विषयः– **श्री सुरेश यादव, उप श्रम आयुक्त के हक में सेवानिवृत आदेश जारी करने के संबंध में।**

''''''''

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयोक्त मामलें में आपको सूचित किया जाता है कि श्री सुरेश यादव, उप श्रम आयुक्त, रोहतक अपनी 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने उपरांत दिनांक 31.10.2021 को सेवानिवृत होने जा रहे है। अधिकारी के पक्ष में बेबाकी प्रमाण पत्र जारी किया जाना है। आप इस पत्र की प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर–2 सूचित करें कि अधिकारी के विरुद्व आपके कार्यालय का कुछ बकाया तो नहीं है।

यदि निर्धारित समय में आपकी ओर से कोई सूचना प्राप्त नही हुई तो यह समझ लिया जाएगा कि अधिकारी की ओर आपके कार्यालय का कुछ बकाया नही हैं और उनके पक्ष में बेबाकी प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा तथा भविष्य में यदि कोई बकाया पाया जाता है तो संबंधित कार्यालय अध्यक्ष जिम्मेवार होंगे।

अधीक्षक (स्था0)
कृतेः श्रम आयुक्त, हरियाणा।

C:\Users\estab\Dropbox\21.08.2020\New Data\E-1\Draft.docx